सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 18 / 2016

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दिवान सिंह पुत्र श्री भंवर लाल बंजारा उम्र 22 वर्ष जाति बंजारा निवासी 159, मजरा झीरी ग्राम झिरी तह0 कुंभराज जिला गुना मध्य प्रदेश–473222 **(मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स** माही दुध देयरी, खजुरपुरा तिराहा बारां जिला बारां।
2. श्री विकास शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा उम्र 38 जाति शर्मा निवासी मकान नं0 1 एच 52 हाउसिंग बॉर्ड कॉलोनी जवाहर नगर झालावाड रोड बारां जिला **(मालिक)** मैसर्स माही दुध देयरी, खजुरपुरा तिराहा बारां जिला बारां।
3. श्रीमती नीतू जैन पत्नि श्री दीलीप जैन निवासी घी वालों की गली, झालरा पाटन जिला झालावाड। मैसर्स नीतू इन्टरप्राईजेज मैन मार्केट, झालारापाटन सीटी जिला झालावाड।
4. श्री अशोक कुमार त्रिवेटी निवासी 1857 / 2, शुभद्र नगर, जबलपुर–482001 **(कंपनी के कार्यशील संचालक मंडल के नाम)** मैसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट–1 मक्सी रोड ग्राम बीलावली देवास मध्यप्रदेश।
5. श्री सुरेश चन्द्रा शाहरा निवासी 29 पुराना पलासिया ए0बी0 रोड इन्दौर 452001 म0प्र0 **(कंपनी के कार्यशील संचालक मंडल के नाम)** मैसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट–1 मक्सी रोड ग्राम बीलावली देवास मध्यप्रदेश।
6. श्री मनीष शाहरा निवासी 29 पुराना पलासिया ए0बी0 रोड इन्दौर 452001 म0प्र0 **(कंपनी के कार्यशील संचालक मंडल के नाम)** मैसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट–1 मक्सी रोड ग्राम बीलावली देवास मध्यप्रदेश।
7. मैसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट–1 मक्सी रोड ग्राम बीलावली देवास मध्यप्रदेश।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2 ता 7)

निर्णय दिनांक 19.06.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.07.2015 को **मैसर्स** माही दुध देयरी, खजुरपुरा तिराहा बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दिवान सिंह पुत्र श्री भंवर लाल बंजारा **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.07.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड)** 500मी0ली0 के 20 पोलिपैक पैकिट विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **दूध (सौरभ गोल्ड)** विक्रेता से 500 मी0ली0 के 04 पोलिपैक पैकेट 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री दिवान सिंह पुत्र श्री भंवर लाल बंजारा को 96/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अभिषेक व श्री शंकर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **दूध (सौरभ गोल्ड) 500 मी0ली0 के** 04 पोलिपैक पैकिट को खोलकर 500 मी.ली. माप कर साफ सूखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–485 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–485 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दिवान सिंह पुत्र श्री भंवर लाल बंजारा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे श्री सूरजमल प्रजापति च0श्रे0 बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/281 दिनांक 07.09.2015 से ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1890/Act/2015/1101 दिनांक 02.09.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु **मैसर्स** माही दुध देयरी, खजुरपुरा तिराहा बारां जिला बारां से पत्रांक 283 दिनांक 08.09.2015 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल सूचना चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में श्री विकास शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा (मालिक) ने खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स नीतू इन्टरप्राईजेज मैन मार्केट, झालारापाटन सीटी जिला झालावाड (डिलर) से पत्रांक 245 दिनांक 03.08.2015, 286 दिनांक 09.09.2015 एवं 306 दिनांक 18.09.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, फर्म, पार्टनर व वाणिज्य कर रजि0 की प्रति चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड युनिट–1 मक्सी रोड ग्राम बीलावली देवास मध्यप्रदेश से पत्रांक 320 दिनांक 30.09.2015 व 380 दिनांक 20.11.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, फर्म, पार्टनर व वाणिज्य कर रजि0 की प्रति एवं 166 दिनांक 20.05.2016 फर्म संचालको के पहचान दस्तावेजों की सूचना चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में कम्पनी ने खाद्य अनुज्ञा पत्र, वाणिज्य कर रजि0 एवं पत्र संलग्न कर कम्पनी के संचालको की सूची पेश कर भिजवाये गये।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 05.08.2016 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थीगण 2 ता 7 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड) 500 मी0ली0** पैक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी क्रम 02 ता 07 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि है प्रकरण मिथ्या आधारों पर गलत रूप से एवं विधि अनुसार प्रक्रिया नही अपनाई गई है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा एवं अप्रार्थीगण की डेयरी से किसी प्रकार का दूध जब्त नही किया गया है, और ना ही नमूना लिया गया है। इसमें प्रार्थीगण का कोई दोष नही है और ना ही किसी प्रकार की मिलावट की गई है। समय मौसम व जानवरो की किस्म आदि से प्रोडक्ट उत्पाद में कुछ परिवर्तन आना संभव है पंरन्तु कंपनी के द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर प्रोडक्ट जांच कर सप्लाई किया जाता है तथा अधिकृत विक्रेता द्वारा ही विक्रय किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व त्रुटी नही की जाती है और ना ही की गयी है। यदि उत्पाद में अप्रार्थीगणों की जानकारी व मौजूदगी से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की मिलावट या अनियमितता की जाती है, तो उसके लिये अप्रार्थीगण उत्तरदायी नही है। परिवादी द्वारा ना तो दुध उत्तरदाता की मौजूदगी में और न ही उनसे लिया गया है तथा ना ही सेम्पलिंग की गयी ना ही सिल्ड मौहर किया गया। ऐसी स्थिति में यदि परिवादी द्वारा कोई अनियमितता कर गलत केस बनाया गया है। अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1890/Act/2015/1101 दिनांक 02.09.2015 के बाद खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **दूध (सौरभ गोल्ड) 500 ग्राम पैक** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 7 को 10,000/– 10,000/– रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 70,000/– अक्षरे सत्तर हजार रूपये मात्र। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 1 को अनुपस्थित रहने कारण उक्त निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)